उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 900—पारे0अनु0—04 / पाट्राकालि—2023—20 / 2009 टी0सी0—।।। दिनांकः 02 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 202~~3~~4

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण / जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ / आगरा / मेरठ / झाँसी / गोरखपुर / प्रयागराज।

ई—मेल

विषय—**उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 01.01.2024 को इको गार्डन, आलमबाग लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या—5572—औ0सं0 / 2023—02(यू0)ए0एस0 / 18, दिनांक 26.12.2023 (ससंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 03.12.2023 से चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 01.01.2024 को इको गार्डन, आलमबाग लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश जारी किये हैं।

आप विदित है कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश सं0—1182 / 24—पी—2—2023—1(121) / 04 दि० 05.07.2023 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या—30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या—470—पारे0 अनु0—04 / पाट्राकालि— 2023—20 / 2009 टी0सी0—।।।, दिनांक 12.07.2023 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं।

इस अनुक्रम में विशेष सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग—2, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र सं0—आर—760 / 2023सी0एक्स०—2 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु वांछित दिशा—निर्देश भी जारी किये जा चुके है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये, आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश प्रसाद)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

क्रमशः 2/—

संख्या : 900 (I)–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि / 2023 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उप सचिव (पारेषण–प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या–5572–औ0सं0 / 2023–02(यू0)ए0एस0 / 18 दिनांक :26 दिसम्बर, 2023

ई-मेल/ स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 01.01.204 को इको गार्डन, आलमबाग लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कारपोरेशन के पत्र संख्या–5295–औ0सं0 / 2023–02(यू)–ए0एस0 / 1 दिनांक 01.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 03.12.2023 से चरणब्द्ध आन्दोलन एवं दिनांक 01.01.2024 को इको गार्डन, आलमबाग लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने की नोटिस प्रेषित की गयी है।

अपर मुख्य सचिव (ऊजी) द्वारा जारी शासनादेश सं0–1182 / 24–पी–2–2023–1(121) / 04 दि0 05.07.2023 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–3093–औ0सं0 / 2023–159–ए / 67 दिनांक 13.07.2023 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की हड़ताल / आन्दोलन / धरना प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

इस अनुक्रम में विशेष सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग–'2, उ0प्र0 शसान, लखनऊ के पत्र सं0–आर–760 / 2023सी0 एक्स0–2 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु वांछित दिशा–निर्देश भी जारी किये जा चुके है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये, आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

MD/UPPCL No. 3125 Date 27/12/23

Dir (PEA), TU / UML

27/12/23

A.S.(T) 29/12

DS(T-III) 29/12

US/SO-04 Satyavir 29/12

संख्या:–5572–औ0सं0 / 2023, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. पुलिस आयुक्त / जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक (क0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

UPPCL

संख्या–5295 औ0सं0/2023–02(यू0)ए0एस0/18 दिनांक : 07 नवम्बर, 2023

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 03.12.2023 से चरणबद्ध आन्दोलन, दिनांक 01.01.2023 को महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 से ईको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पत्र संख्या–4/11दिनांक 04.11.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संघ द्वारा दिनांक 03.12.2023 को गाँधी प्रतिमा, लखनऊ के समक्ष सत्याग्रह, दिनांक 01.01.2024 को महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 से ईको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने का आह्वान किया है।

आप विदित है कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश सं0–1182/24–पी–2–2023–1(121)/04 दि0 05.07.2023 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–3093–औ0सं0/17/पाकालि/2023–159–ए/67 दिनांक 13.07.2023 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आन्दोलन/धरना प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये, आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–5295–औ0सं0/2023, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।

5. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(लोकेन्द्र सिंह)
कार्मिक अधिकारी

एकता! रजि. नं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 [illegible], आलमबाग रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश [illegible]	प्रदेश [illegible]	प्रदेश [illegible]	प्रदेश [illegible]	[illegible]
मा. कौशल किशोर [illegible]	[illegible] मो. 8585087409	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कोषाध्यक्ष [illegible]

पत्रांक 4/21 दिनांक 4-11-2023

सेवा में,

मानसीय मुख्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

15275/जcm/23
11/11/23

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

No. 17089 /Dir(P&A)/PCL/2022.
R.D. 14/XI/23
D.D. 16/11/23

विषय– **संघ के मुख्य संरक्षक मा0 सांसद कौशल किशोर जी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली की उपस्थिति में संघ पदाधिकारियों व निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) शक्ति भवन, लखनऊ के बीच बनी सहमति के सम्बन्ध में।**

D(P&A)

माननीय जी/ महोदय जी,

अवगत कराना हैं कि दिनांक 02.11.2023 को संघ के मुख्य संरक्षक मा0 सांसद कौशल किशोर जी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली की उपस्थिति में संघ पदाधिकारियों व निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) शक्ति भवन, लखनऊ के बीच संघ के पत्र सं0–6/10 दिनांक 06.10.2023 के साथ संलग्न मांग पत्र में वर्णित मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा आश्वस्त किया गया कि दीपावली पर्व से पहले मा0 सांसद कौशल किशोर जी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली की उपस्थिति में अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ व संघ पदाधिकारियों के बीच सकारात्मक वार्ता कराकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबन्ध करने, मार्च 2023 में आन्दोलन के नाम पर हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, वेतन रू0 18000/– निर्धारित कर उ0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले हित लाभों को देने या सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान करने या समान कार्य का समान वेतन देने, ई0पी0एफ0 घोटाले की जांच कराने, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर भुगतान करने, अपंग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति एवं जीवन यापन भत्ता देने सहित संघ के मांग पत्र में वर्णित अन्य समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन देते हुए संघ द्वारा दिनांक 06.11.2023 को ईको गार्डेन आलमबाग, लखनऊ में किये जाने वाले महापंचायत तथा दिनांक 07.11.2023 से ईको गार्डेन आलमबाग, लखनऊ में किये जाने वाले अनिश्चित कालीन धरना को स्थगित करने का अनुरोध किया गया। जिसके बाद संघ द्वारा निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) शक्ति भवन, लखनऊ के अनुरोध का सम्मान करते हुए तथा दीपावली जैसे पर्व को ध्यान में रखकर दिनांक 06.11.2023 को ईको गार्डेन आलमबाग, लखनऊ में किये जाने वाले महापंचायत तथा दिनांक 07.11.2023 से ईको गार्डेन आलमबाग, लखनऊ में किये जाने वाले अनिश्चित कालीन धरना को स्थगित कर दिया गया। किन्तु यदि दीपावली पर्व से पूर्व उक्त समस्याओं का समाधान न होने पर संघ द्वारा अपने पूर्व पत्र सं0–6/10 दिनांक 06.10.2023 के साथ संलग्न मांग पत्र में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन का ध्यान कर्मचारियों के समस्याओं की ओर आकृष्ट करने हेतु किये जा रहे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए –

07.11.23
(आशीष कुमार गायल)
[illegible]

DGM(R)

PO

18/11/23

SO
20.11.23

क्रमशः 2

एकता! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विस्तार!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, खरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक • मा. कौशल किशोर • सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ • | प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद मो. 8565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय | प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन | प्रदेश उपाध्यक्ष फिरोज माधुरी | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री सियाराम | संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव | संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव | प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया | कार्यालय मंत्री सुशील कुमार | कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 4/21 दिनांक 4-11-2023

(2)

1. छठे चरण में दिनांक 24.11.2023 को सुबह 10 बजे से जिला मुख्यालयों, जोन / मण्डल / खण्डीय कार्यालयों पर जन जागरूकता रैली निकाल कर संगोष्ठी की जायेगी तथा मा0 ऊर्जा मंत्री जी के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा।

2. सातवें चरण में दिनांक 03.12.2023 को गांधी प्रतिमा एवं अन्य महापुरूषों की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया जायेगा जिसमें विकलांग कर्मचारियों, मृतक कर्मचारियों के परिजन, मार्च 2023 में आन्दोलन के नाम पर हटाये गये आउटसोर्स कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा भाग लिया जायेगा तथा महामहिम राज्य पाल महोदया के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा।

3. आठवें चरण में दिनांक 11.12.2023 को जिलाधिकारी के माध्यम से मा0 प्रधानमंत्री जी के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा।

4. नवां चरण में दिनांक 24.12.2023 को जिला मुख्यालयों, जोन/ मण्डल / खण्डीय कार्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जायेगा तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया जायेगा।

5. दसवें चरण में दिनांक 01.001.2024 को ईको गार्डन आलमबाग लखनऊ में महापंचायत किया जायेगा तथा इससे भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संघ को –

6. ग्यारहवें चरण में दिनांक 02.01.2024 से ईको गार्डन आलमबाग, लखनऊ में अनिश्चित कलीन धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिसमें होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की होगी।

अतः माननीय जी / श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

नोट–संघ सकारात्मक वार्ताचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान कराने का पक्षधर है।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

प्रदेश महामंत्री

मो0 नं0 : 8400754341

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य संरक्षक, मा0 सांसद कौशल किशोर जी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), शक्ति भवन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
7. पुलिस आयुक्त महोदय, महानगर, लखनऊ।
8. अपर श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त, ए0पी0सेन रोड, चारबाग, लखनऊ।
9. समस्त दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या:–1182/24–पी–2–2023–1(121)/04
लखनऊ : दिनांक : 05 जुलाई, 2023

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5– कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6– मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8– पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9– दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाए।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:– 1182 (1)/24–पी–2–2023–1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.07.2023 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश का असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

..2/–

N S Yadav U O-2023

संख्याः– 1182(2)/24-पी-2-2023-1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(7) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(8) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि न आदेश का विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

(9) विधायी अनुभाग–1।

(10) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(11) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।

(12) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ

(13) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी

(14) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।

(15) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा

(16) गोपन अनुभाग–2 एवं ऊर्जा अनुभाग–1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

K S Mishra U O-2023

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1182/24-P-2-2023-1(121)/2004, dated- 05-07-2023.

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 1182/24-P-2-2023-1(121)/04
Dated, Lucknow: 05-07-2023

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow. 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpu Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited. Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

MAHESH KUMAR GUPTA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

UPPCL

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या–3093–औ०सं०–17 / पाकालि / 2023–169–ए / 67 दिनांक 13 जुलाई, 2023

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0, एवं केस्को,
वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं कानपुर।

विषय :– <u>उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश सं0–1182 / 24–पी–2–2023–1(121) / 04 दिनांक 05.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
<u>उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)</u>

<u>संख्या–3093(I)औ०सं०–17 / पाकालि / 2023–तद्दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश सं0–1182 / 24–पी–2–2023–1(121) / 04 दिनांक 05.07.2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
02. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
03. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड / उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
04. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
05. प्रबन्ध निदेशक, एस०एल०डी०सी०लि0, विभूति खण्ड–II, लखनऊ के निजी सचिव।
06. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), / वित्त / वितरण / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग उ०प्र० पा०का०लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
07. अपर सचिव–I / II / III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
08. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
09. महाप्रबन्धक (औ०सं०) / उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार।</u>

(प्रदीप कुमार)
<u>उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)</u>

<u>संख्या–3093(II) औ०सं०–17 / पाकालि / 2023 / तद्दिनांक:–</u>

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम / सेवा संघो को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार।</u>

(प्रदीप कुमार)
<u>उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)</u>

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 470–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2023–20 / 2009 टी0सी0– ।।। दिनांकः 12 जुलाई, 2023

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण / जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ / आगरा / मेरठ / झाँसी / गोरखपुर / प्रयागराज।

विषय– "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966" के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह के लिये हडताल निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन से प्राप्त अधिसूचना आदेश संख्या–1182 / 24–पी–2–2023–1(121) / 04, दिनांक 05.07.2023 (ससंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 शासन ने "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966" के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह के लिये हडताल निषिद्ध की है।

अतः उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक–यथोक्त,

भवदीय,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

फैक्स/ई-मेल

संख्या-आर- 760 /2023-सी0 एक्स 0-2

प्रेषक,

वी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / पुलिस आयुक्त / जिलाधिकारी /
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 11/12/2023

विषय- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 03.12.2023, 11.12.2023, 24.12.2023, 01.01.2024 एवं 02.01.2024 को क्रमशः सत्याग्रह, जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित ज्ञापन, मशाल जुलूस, महापंचायत एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने की दी गयी नोटिस के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या-5340-औ0सं0/2023-02 (यू)-ए0एस0/18, दिनांक 02.12.2023 एवं उसके साथ संलग्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 04.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संलग्नक सहित सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 03.12.2023 को गाँधी प्रतिमा, लखनऊ के समक्ष सत्याग्रह, दिनांक 11.12.2023 को जिलाधिकारी के माध्यम से मा0 प्रधानमंत्री जी के नाम सम्बोधित ज्ञापन, दिनांक 24.12.2023 को जिला मुख्यालयों, जोन / मण्डल / खण्डीय कार्यालयों पर मशाल जुलूस, दिनांक 01.01.2024 को ईको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में महापंचायत एवं दिनांक 02.01.2024 से ईको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किये जाने की नोटिस दी गयी हैं।

2. उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव (उर्जा) द्वारा शासनादेश संख्या-1182/24-पी-2-2022-1(121)/04 दिनांक 05.07.2023 द्वारा उर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

I. विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए।

II. कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रो व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

III. जनपद में विद्युत विभाग के संवेदनशील स्थानों की समीक्षा कर वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

IV. यदि कहीं तोड़-फोड़ की घटना होती है, तो उस पर तत्काल कड़ी कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त ।

Digitally Signed by वी0के0 सिंह
Date: 11-12-2023 19:07:58
Reason: Approved

भवदीय,

(वी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

आज्ञा से,
ह0/-
(वी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव ।